निगरानी / टीए/683/ 2003/ जिला भरतपुर
ओभी बनाम बाहदुरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
05-05-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण । श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1 हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष विरूद्ध प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे उपखंड अधिकारी कुम्हेर ने आदेश दिनांक 22–01–03 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3 उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रार्थीगण ने अपने उत्तरवाद के खण्ड संख्या ।। के बाद खण्ड संख्या 12 में यह जोड़े जाने का निवेदन किया था कि प्रकरण में पूर्व इन्हीं पक्षकारों के सम्बन्ध में इसी आराजी को लेकर एक बाद संख्या 199/91 शीर्षक निहालसिंह आदि बनाम महाराजसिंह आदि दिनांक 1.10.91 को प्रार्थी प्रतिवादीगण के हक में न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय भरतपुर के द्वारा एकपक्षीय डिक्री किया गया है जिसके विरूद्ध वादीगण/अप्रार्थीगण ने इसी न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत	

किया था जो दिनांक 12.8.96 को अवैट किया जाकर खारिज किया जा चुका है । आदेश दिनांक 12.8.91 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 165/96 शीर्षक महाराजसिंह बनाम भद्रदेव आदि को भो न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर ने दिनांक 13.1.99 को खारिज किया जा चुका है । इस प्रकार निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 01.10.1991 वादीगण/अपार्थीगण के विरुद्ध अन्तिम निर्णय हो चुका है इसलिये वादीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत दावे में एस्टोपिल का सिद्धान्त लागू होता है इसलि दावा वादी/अप्रार्थीगण चलने योग्य है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी बिना समझे गलत खारिज किया है। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है।

5 विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। यह सही है कि वाद शीर्षक निहालसिंह बनाम महाराज सिंह एक पक्षीय डिक्री हो गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अबैट कर दिया था। उसकी अपील को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने खारिज कर दिया था। अब तक दावे से सम्बन्धित निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर व राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल में जैरकार है। इसलिए निर्णय व डिक्री को अन्तिम नहीं माना जावेगा। अन्त में उन्होनें निगरानीधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया है।

6 विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22-01-03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुये खारिज किया है

कि प्रार्थीगण उठाये गये मुद्दे को लेकर अपने उत्तरवाद में उल्लेख कर चुके है जिसके आधार पर तनकी कायम की जा चुकी है तथा उक्त तनकीयात सहायक कलक्टर द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध कायम की जा चुकी है। वैसे भी इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी आराजी को लेकर एक अन्य वाद मण्डल में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 01-10-91 को अन्तिम नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर अगर कोई हक व हित निहित होता है तो वह दावे में प्रस्तुत साक्ष्य एवं न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय हो सकेगा।

8 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सकारण व युक्तियुक्त है। जिसमें निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22-01-03 में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

9 परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)

सदस्य